# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— मुन्नीराम बागड़िया
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 57/2017

राजेश कुमार पुत्र स्व0 श्री बनवारीलाल, जाति मीणा, निवासी पचलंगी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

—अपीलार्थी

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

— रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 26.10.2017
बअदालत तहसीलदार उदयपुरवाटी उनवानी प्रकरण सरकार बनाम बनवारी
मु.न. 94/2017, अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट. भू राजस्व अधि. 1956

उपस्थिति:—

1. श्री विजयपाल , एडवोकेट ——— ————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट————————रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 14.05.2018

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 26.10.2017 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम बनवारी मु.न. 94/2017 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट. भू राजस्व अधि. 1956 न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि— अपीलांट के पिता बनवारी की मृत्यु दिनांक 05.2.1985 को हुई। मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति अपील के साथ संलग्न है। अदालत मातहत ने मरे हुये व्यक्ति को अतिक्रमी मानकर निर्णय पारित किया है जो कि अवैध व शून्य है। पटवारी हल्का ने मरे हुये व्यक्ति के विरूद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट कर पदीय कर्तव्य का दुरूपयोग किया है जो अपराध की श्रेणी में है। तामील कुनिन्दा कभी भी अपीलान्ट के घर नहीं गया अतिक्रमण रिपोर्ट साबित नहीं है। अपीलांट के पिता अतिकमी नहीं हे। अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की अतिक्रमण की रिपोर्ट को सही मानने में कानूनी गलती की है। पटवारी रिपोर्ट में अतिक्रमण स्थल दर्शित नहीं किया गया है। जमीन जैर बहस का नाप

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

किया गया हो दर्ज नहीं है। इस प्रकार निर्णय जैर बहस खारिज होने योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि अधीनस्थ नयायालय मरे हुये व्यक्ति को अतिक्रमी मानकर निर्णय पारित किया है जो कि अवैध व शून्य है। पटवारी हल्का ने मरे हुये व्यक्ति के विरूद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट कर पदीय कर्तव्य का दुरूपयोग किया है जो अपराध की श्रेणी में है। तामील कुनिन्दा कभी भी अपीलान्ट के घर नही गया अतिकमण रिपोर्ट साबित नहीं है। अपीलांट के पिता अतिकमी नहीं हे। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की अतिकमण की रिपोर्ट को सही मानने में कानूनी गलती की है। पटवारी रिपोर्ट में अतिक्रमण स्थल दर्शित नही किया गया है। जमीन जैर बहस का नाप किया गया हो दर्ज नहीं है। मरे हुये व्यक्ति के विरूद्ध कानून कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। अदालत मातहत ने गलत रूप से तामील मानकर अपीलांट के विरूद्ध एक पक्षीय रूप से निर्णय पारित करने में गलती की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम पचलंगी में भूमि खसरा नंबर 599 रकबा 0.35 है0 किस्म बंजड़ में से रकबा 04 वर्ग मीटर पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने के कारण तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा विधिक प्रकिया के तहत निर्णय पारित कर विधिसम्मत कार्यवाही की गई है । अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अपीलांट का कथन कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी गलत तामील के आधार मानकर मरे हुये व्यक्ति के विरूद्ध धारा 91 एल0आर0एक्ट की कार्यवाही कर बेदखली का आदेश पारित किया है। पत्रावली पर तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत हुई है, जिसके अनुसार स्व बनवारीलाल की दिनांक 5.2.1988 को मृत्यु होना अंकित है। कानून मरे हुये व्यक्ति के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चल सकती है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता।

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.10.2017 मु0नं0 94/2017 उनवानी सरकार बनाम बनवरी निरस्त किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी की मिसल अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(एम0आर0 बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 14.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम0आर0 बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू